महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार)
वेदविद्या मार्ग, चिंतामण गणेश, पोस्ट जवासिया, उज्जैन –456006 (म.प्र.)
Maharshi Sandipani Rashtriya Vedavidya Pratishthan
(Ministry of HRD, Govt. of India)
Vedavidya Marg, Chintaman Ganesh, P.O. Jawasiya, UJJAIN- 456006 (M.P.)

प0सं0 22 –127 / 2018 / (शै.)मसारावेविप्र / दिनांकः 12 / 02 / 2019

अति तत्काल

प्रति,

सचिव,
श्री आर्षविद्या शिक्षणप्रशिक्षण सेवा संस्थान
बरियारपुर पूवीचम्पारण
जिला– मोतिहारी बिहार–

विषयः–सम्परीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपको सूचित किया जाता है कि आपके वेद विद्यालय में रिक्त स्थान एक संस्कृत अध्यापक सम्पूर्ति हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

एतदर्थ उपर्युक्त रिक्त स्थानं की सम्पूर्ति हेतु विद्यालय की समिति से स्वीकृति लेकर स्थानीय समाचार पत्र में विज्ञापन कर जिसमें आवेदन मंगाने की 14 दिन की अवधि रहेगी। विज्ञापनोपरान्त आगत अभ्यर्थियों के आवेदन जिसमें समस्त शैक्षणिक प्रमाणपत्र, आधार कार्ड की छायाप्रति सहित अभ्यर्थी द्वारा स्वयं प्रमाणित आवेदन में संलग्न करना अनिवार्य है। समस्त आगत आवेदन क्रमशः अभ्यर्थियों की सूची सहित विषय क्रम अनुसार संलग्न कर विज्ञापन की प्रति सहित 28 फरवरी, 2019 तक प्रतिष्ठान कार्यालय को प्राप्त कराने का अनुरोध है।

भवदीय

(प्रो. विरूपाक्ष वि. जड्डीपाल)
सचिव

संलग्नः– संस्कृत–सामाजिक विज्ञान–योग विषय, गणित–अंग्रेजी–कम्प्यूटर विषय अध्यापक हेतु योग्यता विवरण।

नोटः– 1. वेदाध्यापक हेतु वेद विभूषण प्रमाणपत्र अथवा समकक्ष पारम्परिक सस्वर प्रमाणपत्र।

2. संस्कृत, सामाजिक विज्ञान विषय हेतु अभ्यर्थी स्नातक स्तर में संस्कृत विषय के साथ समाजशास्त्र, इतिहास, समाज कार्य राजनीति विज्ञान, भूगोल में से किसी एक विषय का अध्ययन आवश्यक है साथ ही योग में भी प्रमाणपत्र/प्रशिक्षित हो।

3. गणित, अंग्रेजी विषय अध्यापक हेतु स्नातक स्तर में फिजिक्स, कमेस्ट्री, मैथ अथवा गणित विषय के साथ अंग्रेजी विषय अनिवार्य है साथ ही कम्प्यूटर में में भी प्रमाणपत्र/प्रशिक्षित हो।

कृ.प. उ.

दूरभाष (0734) 2502266, 2502254, 2502255 **फैक्स** (0734–2502253)
E-mail : msrvvpujn@gmail.com, website : www.msrvvp.ac.in

4. बी.एड़ अथवा एम.ए./एम.एस.–सी अथवा वर्तमान समय में 2 वर्ष का अध्यापन अनुभव अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जायेगी।

5. संस्कृत, सामाजिक विज्ञान विषय अध्यापकों को प्रतिष्ठान योजना के अन्तर्गत वर्तमान तथा भविष्य में योग आदि विषय का अध्यापन कराना अनिवार्य होगा। जिन अभ्यर्थी के पास योग विषय का अध्यापन तथा प्रायोगिक अनुभव नहीं हैं वह अभ्यर्थी सम्बन्धित विषय में योग्यता प्राप्त कर प्रतिष्ठान को प्रमाणपत्र की प्रति देना होगी। इसी क्रम में गणित, सामाजिक विज्ञान विषय अध्यापक को प्रतिष्ठान योजना के अन्तर्गत कम्प्यूटर विषय का अध्यापन कराना अनिवार्य होगा सम्बन्धित विषय हेतु योग्यता न होने पर योग्यता हासिल कर प्रतिष्ठान प्रमाणपत्र की प्रति देना होगी।

भवदीय

(प्रो. विरूपाक्ष वि. जड्डीपाल)

सचिव